

::आदेशः

कोरोनावायरस (COVID-19) संक्रमण के प्रभाव को रोकने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन की लॉक डाउन सम्बन्धी अधिसूचना संख्या: 217/UKMFWS/PS-MDNNM/2019-20 दिनांक 22.03.2020 व पत्र संख्या 170/नि.स.-मु.स./2020 दिनांक 24.03.2020 तथा इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्या: 2106/सीपीओ-डीएम-2020 दिनांक 22.03.2020, आदेश संख्या: 2110/सीपीओ-डीएम-2020 दिनांक 23.03.2020, आदेश संख्या 2117/सीपीओ-डीएम-2020 दिनांक 24 मार्च, 2020, आदेश संख्या 2121/सीपीओ-डीएम-2020 दिनांक 25.03.2020, आदेश संख्या 2125/सीपीओ-डीएम-2020 दिनांक 26.03.2020 एवं आदेश संख्या 2134/सीपीओ-डीएम-2020 दिनांक 27.03.2020 के क्रम में दिनांक 31.03.2020 हेतु निम्नांकित आदेश पारित किये जाते हैं:-

1. आटा एवं मसाला चक्की आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित है, जो प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक खुली रहेगी।
2. पेन्शन और सामान्य भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) से सम्बन्धित कार्यालय/संस्थान आवश्यक सेवाओं की भाँति अपरान्ह 01 बजे तक खुले रहेंगे। सम्बन्धित कार्याध्यक्ष इन कार्यालयों में न्यूनतम कर्मचारियों को ही कार्य सम्पादन हेतु बुलायेंगे।
3. जिला रेडक्रास सोसायटी आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित रहेगी तथा ब्लड बैंक से समन्वय स्थापित कर रक्तदान की व्यवस्था (सामाजिक दूरी सम्बन्धी मानकों का अनुपालन करते हुये) करेगी, जिससे ब्लड बैंक में जरूरत के अनुसार रक्त उपलब्ध हो सकें।
4. किराने के सामान में हाथ धोने की मशीन, साबुन, कीटाणुनाशक, बॉडी वॉश, शैंपू, सतह क्लीनर, डिजिटल और टिशू पेपर, टूथपेस्ट, ओरल केयर, सैनिटरी पैड और डायपर, बैटरी सेल, चार्जर जैसे स्वच्छता उत्पादों वाले सामान को भी दुकान में प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक विक्रय करने की अनुमति होगी।

अतः कार्यालय के पूर्व आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष यथावत बने रहेंगे।

(डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या : 2159/सीपीओ-डीएम-2020

दिनांक : 30, मार्च, 2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही व अनुपालनार्थ प्रेषित।

- 1- मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- अपर मुख्य सचिव महोदय-मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
- 3- सचिव महोदय, मा० श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
- 7- अपर जिलाधिकारी (वि०/राज०)/प्रशासन, देहरादून।
- 8- सिटी मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद-देहरादून।
- 9- निदेशक, पेन्शन लेखा एवं हकदारी, लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
- 10- क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
- 11- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 12- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव, रेडक्रास सोसायटी, देहरादून।




जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।